

केंद्रीय प्रतिपक्षकारों के लिए बैंक के एक्सपोजर हेतु पूंजी अपेक्षाओं पर दिशानिर्देश

बासल III पूंजी ढांचे के पैरा 5.15.3.8, 5.15.3.9 और 5.15.3.10 का स्थान निम्नलिखित ढांचा ले लेगा।

5.15.3.8 केंद्रीय प्रतिपक्षकारों के लिए एक्सपोजर हेतु पूंजी अपेक्षाएं

प्रयोज्यता का दायरा

- (i) ओटीसी डेरिवेटिव लेनदेनों, शेयर बाजार में व्यापार किए जाने वाले डेरिवेटिव लेनदेनों, प्रतिभूतियों के वित्तपोषण वाले लेनदेनों और दीर्घावधि निपटान वाले लेन-देनों से उत्पन्न केंद्रीय प्रतिपक्षकारों के प्रति एक्सपोजर, नीचे पैराग्राफ में इंगित किए गए अनुसार प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम ट्रीटमेंट के अधीन होंगे। दीर्घावधि निपटान वाले लेन-देन ऐसे लेन-देन हैं जहां प्रतिपक्षकार वचन देता है कि वह किसी निपटान या सुपुर्दगी तारीख को कोई प्रतिभूति, अथवा नकदी के बदले किसी विदेशी मुद्रा में राशि, अन्य वित्तीय लिखत या इसके उलट सुपुर्दगी करेगा। उक्त तारीख संविदा में उस विशिष्ट लिखत के लिए बाजार मानक के न्यूनतम से अधिक होती है और बैंक के लेन-देन में भाग लेने की तारीख से पाँच कार्यदिवस बाद की होती है।
- (ii) नकदी लेनदेनों (ईक्विटी, निर्धारित आय, स्पॉट फॉरेक्स, कम्मोडिटी इत्यादि) के निपटान से उत्पन्न एक्सपोजर इस ट्रीटमेंट के अधीन नहीं हैं। नकदी लेनदेनों का निपटान इस परिपत्र के पैरा 5.15.4 में वर्णित ट्रीटमेंट के अधीन बना रहेगा।
- (iii) जब किसी एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव लेन-देन का समाशोधन सदस्य बैंक से ग्राहक बैंक चरण में किसी द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत किया जाता है तो ग्राहक बैंक और समाशोधन सदस्य दोनों उस लेन-देन का पूंजीकरण किसी ओटीसी डेरिवेटिव के रूप में करेंगे।
- (iv) पूंजी पर्याप्तता ढांचे के उद्देश्य से, सीसीपी को वित्तीय संस्था माना जाएगा। तदनुसार, सीसीपी की पूंजी में किसी बैंक का निवेश उक्त परिपत्र के पैरा 4.4.9 के अनुसार संचालित होगा।
- (v) पूंजी अपेक्षाएं सीसीपी के स्वरूप, अर्थात् क्वालीफाइंग सीसीपी (क्यूसीसीपी) और गैर-क्वालीफाइंग सीसीपी पर आधारित रहेंगी। क्वालीफाइंग सीसीपी को उक्त परिपत्र के पैरा 5.15.3.3 में परिभाषित किया गया है।

- क. चाहे कोई सीसीपी क्यूसीसीपी के रूप में वर्गीकृत हो अथवा नहीं, बैंक के पास यह सुनिश्चित करने का दायित्व कायम रहता है कि वह अपने एक्सपोजर के लिए समुचित पूंजी बनाए रखे। पिलर 2 के अंतर्गत, यदि, उदाहरण के लिए (i) सीसीपी से उसके लेनदेन के कारण अधिक जोखिमपूर्ण एक्सपोजर उत्पन्न होते हैं अथवा (ii) जहां किसी बैंक के लेनदेन के संदर्भ में यह अस्पष्ट है कि सीसीपी क्यूसीसीपी की परिभाषा को पूरा करता है या नहीं, तो बैंक को यह विचार करना चाहिए कि क्या उसे न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं के अतिरिक्त पूंजी धारण करने की आवश्यकता पड़ सकती है। जहां तक सीसीपी को क्यूसीसीपी का दर्जा देने का संबंध है, कृपया केंद्रीय प्रतिपक्षकारों (सीसीपी) के लिए बैंकों के एक्सपोजर पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 7 जनवरी 2014 के परिपत्र का पालन करें।
- ख. यदि भारतीय रिज़र्व बैंक की दृष्टि में ऐसा करना जरूरी हो तो बैंकों से अपेक्षा हो सकती है कि वे पिलर 2 के जरिए क्यूसीसीपी के प्रति अपने एक्सपोजर के लिए अतिरिक्त पूंजी धारण करें।
- ग. जहां बैंक एक समाशोधन सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हो, तो बैंक को समुचित परिदृश्य विश्लेषण (सीनारिओ एनालिसिस) तथा दबाव परीक्षण (स्ट्रेस टेस्टिंग) द्वारा यह मूल्यांकन कर लेना चाहिए कि किसी सीसीपी के एक्सपोजर के लिए धारित पूंजी का स्तर इन लेनदेनों में अंतर्निहित जोखिमों को समुचित रूप से कवर करता है या नहीं। इस मूल्यांकन में डिफाल्ट फंड प्रतिबद्धताओं पर भावी आहरणों के कारण तथा/अथवा किसी अन्य समाशोधन सदस्य के ग्राहकों से समंजन लेनदेनों को अधिग्रहीत करने या प्रतिस्थापित करने की गौण प्रतिबद्धताओं के परिणामस्वरूप, यदि यह समाशोधन सदस्य डिफाल्ट करे या दिवालिया हो जाए, के कारण उत्पन्न संभावित, भावी या आकस्मिक एक्सपोजरों को शामिल किया जाना चाहिए।
- घ. बैंक के लिए यह आवश्यक है कि वह सीसीपी के जरिये क्रय-विक्रय करने से उत्पन्न एक्सपोजरों तथा डिफाल्ट फंड जैसी सीसीपी सदस्यता दायित्व से उत्पन्न एक्सपोजरों के साथ-साथ, सीसीपी के प्रति अपने सभी एक्सपोजरों को मानीटर करे तथा नियमित आधार पर (तिमाही या और बारंबारी अंतरालों पर) बोर्ड की समुचित समिति (उदाहरण के लिए जोखिम प्रबंधन समिति) और वरिष्ठ प्रबंधन को रिपोर्ट करे।
- ङ. जब तक भारतीय रिज़र्व बैंक (डीबीआर) की अपेक्षा अन्यथा न हो, पूर्ववर्ती क्यूसीसीपी के साथ लेनदेन के लिए उसी तरह पूंजीकरण किया जाना चाहिए, मानो जब से वह क्यूसीसीपी के रूप में क्वालीफाई होना बंद हुआ है उस तिथि से अधिकतम 3 माह की अवधि के लिए उसे क्यूसीसीपी ही माना गया है। इस समय के बाद, ऐसे केंद्रीय

प्रतिपक्षकार के साथ बैंक के एक्सपोजर पर गैर-क्यूसीसीपी के लिए लागू नियमों के अनुसार पूंजीकरण किया जाना चाहिए।

5.15.3.9 अर्हक (क्वालीफाइंग) सीसीपी (क्यूसीसीपी) के प्रति एक्सपोजर

(i) व्यापार एक्सपोजर

क्यूसीसीपी के प्रति समाशोधन सदस्य के एक्सपोजर

जहां कोई बैंक स्वयं के उद्देश्यों के लिए किसी क्यूसीसीपी के समाशोधन सदस्य के रूप में कार्य करता है तो ओटीसी डेरिवेटिव लेनदेनों, शेयर बाजार में क्रय-विक्रय किए जाने वाले डेरिवेटिव लेनदेनों तथा एसएफटी और दीर्घावधि निपटान वाले लेन-देनों के संबंध में क्यूसीसीपी के प्रति बैंक के एक्सपोजर के लिए 2% का जोखिम भार अवश्य लगाया जाना चाहिए। जहां समाशोधन सदस्य ग्राहकों को समाशोधन सेवाएं प्रदान करता है, तो उस सीसीपी के प्रति समाशोधन सदस्यों के व्यापार एक्सपोजर पर भी 2% का जोखिम भार लागू होगा जो उस समय उत्पन्न होता है जब सीसीपी की चूक होने की स्थिति में उसके लेनदेन की कीमत में परिवर्तन के कारण हुई हानि के लिए ग्राहक को प्रतिपूर्ति करने के लिए समाशोधन सदस्य बाध्य होगा। बैंक द्वारा सीसीपी को पोस्ट किए गए संपार्श्विक के संबंध में लागू जोखिम भार का निर्धारण पोस्ट किए गए संपार्श्विक के ट्रीटमेंट के अंतर्गत पैराग्राफ के अनुसार किया जाना आवश्यक है।

ऐसे व्यापार एक्सपोजर के लिए एक्सपोजर की राशि की गणना डेरिवेटिव के लिए प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम हेतु मानकीकृत विधि (एसए-सीसीआर) तथा रिपो/रिवर्स रिपो शैली के लेनदेनों के लिए पूंजी पर्याप्तता हेतु यथालागू नियमों के अनुसार की जाएगी।¹ इस प्रयोजन से, ओटीसी डेरिवेटिव के लिए सीसीपी के प्रति व्यापार एक्सपोजर की गणना करने के लिए न्यूनतम 10 दिनों की जोखिम मार्जिन अवधि का उपयोग किया जाए। जहां सीसीपी कतिपय व्यापार के प्रति विचरण मार्जिन बनाए रखते हैं और प्रदत्त संपार्श्विक को सीसीपी के दिवालिया होने की स्थिति में सुरक्षा नहीं प्राप्त है तो इन व्यापारों पर बैंकों के ट्रेड एक्सपोजर पर लागू न्यूनतम समय जोखिम सीमा एक वर्ष से कम होनी चाहिए और लेनदेनों की शेष परिपक्वता 10 कारोबार दिवसों की आधार सीमा के साथ होनी चाहिए।

जहां डिफाल्ट की स्थिति में निवल आधार पर निपटान विधिक रूप से प्रवर्तनीय है, इस बात की परवाह किए बिना कि प्रतिपक्षकार दिवालिया है या शोधक्षम, व्यापार एक्सपोजर निर्धारण से संबंधित सभी संविदाओं की कुल प्रतिस्थापन लागत की गणना निवल प्रतिस्थापन लागत के रूप में तभी जा सकती है, जब कि लागू क्लोज आउट नेटिंग सेट इन दिशानिर्देशों के परिशिष्ट 1 में दी गई अपेक्षाओं को पूरा करते हों।

¹ कृपया मास्टर परिपत्र का पैरा 7.3.8 देखें।

बैंकों को दर्शाना होगा कि, जहां तक क्यूसीसीपी के प्रति एक्सपोजर की नेटिंग की विधिक निश्चितता के संबंध में स्वतंत्र और तर्कपूर्ण विधिक राय प्राप्त करके **परिशिष्ट 1** में उल्लिखित शर्तें नियमित आधार पर पूरी की जाती हैं। बैंक क्यूसीसीपी से उनकी महत्वपूर्ण गतिविधियों, जैसे निपटान की अंतिम स्थिति, नेटिंग, संपार्श्विक व्यवस्थाओं (मार्जिन व्यवस्थाओं सहित); डिफाल्ट प्रक्रियाओं इत्यादि की विधिक निश्चितता पर संबंधित क्यूसीसीपी द्वारा ली गई विधिक राय भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि बैंक यह नहीं दर्शा सकता है कि नेटिंग व्यवस्थाएं इन अपेक्षाओं को पूरा करती हैं, तो प्रत्येक एकल लेन-देन को व्यापार एक्सपोजर की गणना के लिए उसका स्वयं का नेटिंग समुच्चय माना जाएगा।

ग्राहकों के प्रति समाशोधन सदस्य बैंक के एक्सपोजर

समाशोधन सदस्य सदैव ग्राहकों के प्रति (संभावित सीवीए जोखिम सहित) अपने एक्सपोजर का द्विपक्षीय व्यापार के रूप में पूंजीकरण करेगा चाहे समाशोधन सदस्य व्यापार की गारंटी देता हो अथवा ग्राहक और क्यूसीसीपी के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता हो। तथापि, समाशोधित लेनदेनों के लिए लघुतर क्लोज आउट अवधि को चिन्हित करने के लिए, समाशोधन सदस्य एसए-सीसीआर का उपयोग करते हुए ट्रेड एक्सपोजर की गणना करते समय जोखिम के कम-से-कम पांच दिनों की मार्जिन अवधि का अनुप्रयोग करते हुए अपने ग्राहकों के प्रति एक्सपोजर का पूंजीकरण कर सकते हैं।

यदि कोई समाशोधन सदस्य ग्राहक समाशोधित व्यापार के लिए किसी ग्राहक से संपार्श्विक वसूल करता है और यह संपार्श्विक सीसीपी को अंतरित कर दिया जाता है, तो समाशोधन सदस्य ग्राहक समाशोधित व्यापार के सीसीपी-समाशोधन सदस्य लेग और समाशोधन सदस्य-ग्राहक लेग, दोनों के लिए इस संपार्श्विक की पहचान करे। अतः ग्राहकों द्वारा अपने समाशोधन सदस्यों को पोस्ट किया गया प्रारंभिक मार्जिन उस एक्सपोजर को कम कर देता है, जो समाशोधन सदस्य का इन ग्राहकों के प्रति हो। उक्त ट्रीटमेंट समरूप ढंग से बहु-स्तरीय ग्राहक संरचना (उच्चतर स्तर के ग्राहक और निम्नतर स्तर के ग्राहक के बीच) पर लागू होता है।

इस प्रयोजन के लिए, बहु-स्तरीय संरचना एक ऐसी संरचना है जिसमें बैंक अप्रत्यक्ष ग्राहकों के रूप में केंद्रीय ढंग से समाशोधन कर सकते हैं; अर्थात्, जब समाशोधन सेवाएं बैंक को किसी ऐसी संस्था द्वारा प्रदान की जाती हैं, जो सीधे तौर पर समाशोधन सदस्य नहीं है, लेकिन वह स्वयं समाशोधन सदस्य अथवा किसी अन्य समाशोधन ग्राहक का ग्राहक है। ग्राहकों और ग्राहकों के ग्राहकों के बीच एक्सपोजर के लिए, इन दिशानिर्देशों में समाशोधन सेवाएं प्रदान करने वाली संस्था के लिए “उच्चतर स्तर के ग्राहक” शब्द का और उस ग्राहक के माध्यम से समाशोधन करने वाली संस्था के लिए “निम्नतर स्तर के ग्राहक” शब्द का प्रयोग किया गया है।

समाशोधन सदस्य के प्रति ग्राहक बैंक के एक्सपोजर

जहां कोई बैंक किसी समाशोधन सदस्य का ग्राहक है तथा वित्तीय मध्यस्थ के रूप में कार्य करने वाले समाशोधन सदस्य के साथ कोई लेनदेन करता है (अर्थात् समाशोधन सदस्य किसी क्यूसीसीपी के साथ कोई समंजनकारी लेनदेन पूरा करता है), समाशोधन सदस्य के प्रति ग्राहक के एक्सपोजर को इस खंड के (ऊपर उल्लिखित) 'सीसीपी के प्रति क्लीयरिंग मेम्बर का एक्सपोजर' पैरा पर लागू ट्रीटमेंट प्राप्त होगा यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी हों। इसी प्रकार, जहां कोई ग्राहक सीसीपी के साथ कोई लेन-देन करता है, जिसमें किसी समाशोधन सदस्य द्वारा उसके निष्पादन की गारंटी दी गई हो, सीसीपी के प्रति ग्राहक के एक्सपोजर को नीचे दी गई शर्तों को पूरा करने पर "क्यूसीसीपी के प्रति समाशोधन सदस्य का एक्सपोजर" पैराग्राफ में उल्लिखित ट्रीटमेंट प्राप्त होगा। यह ट्रीटमेंट निम्नतर स्तर के ग्राहकों के उच्चतर स्तर के ग्राहकों के प्रति एक्सपोजर पर भी लागू होगा, बशर्ते कि ग्राहक के स्तरों के बीच नीचे दी गई शर्तें पूरी की जाती हों।

क) क्यूसीसीपी द्वारा समंजनकारी लेनदेनों की पहचान ग्राहक लेनदेनों के रूप में की जाती है तथा उनका समर्थन करने के लिए क्यूसीसीपी और/अथवा सदस्य द्वारा ऐसी व्यवस्थाओं के अंतर्गत यथालागू संपार्श्विक धारण किया जाता है जो ग्राहक को निम्नलिखित के कारण होने वाली किसी प्रकार की हानि से बचाता है:

- (i) समाशोधन सदस्य के डिफॉल्ट अथवा दिवालियेपन
- (ii) समाशोधन सदस्य के अन्य ग्राहकों के डिफाल्ट अथवा दिवालियेपन; और
- (iii) समाशोधन सदस्य और इसके किसी अन्य ग्राहक के संयुक्त डिफॉल्ट या दिवालियेपन। अर्थात्, समाशोधन सदस्य के दिवालिया होने पर, सीसीपी के प्रति चूककर्ता समाशोधन सदस्य के ग्राहकों के संपार्श्विक को किसी एक या अधिक अन्य जीवित समाशोधन सदस्यों को अथवा ग्राहक को अथवा ग्राहक के नामिती को अंतरित करने के संबंध में कोई कानूनी व्यवधान न हो (न्यायालयीन आदेश प्राप्त करने की आवश्यकता के अतिरिक्त जिसके लिए ग्राहक हकदार है)।

ग्राहक ने समुचित विधिक समीक्षा अवश्य की हो (तथा आगे ऐसी समीक्षा करे जो सतत प्रवर्तनीयता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो) तथा उसके पास यह निष्कर्ष निकालने के लिए उपयुक्त आधार होना चाहिए कि विधिक रूप से चुनौती की स्थिति में संबंधित न्यायालय और प्रशासनिक प्राधिकारी यह पाएं कि ऊपर उल्लिखित व्यवस्थाएं कानूनी, वैध, बाध्यकारी तथा संबंधित क्षेत्राधिकार(रों) के संबंधित कानूनों के अधीन प्रवर्तनीय हैं।

ख) संबंधित कानूनों, विनियमों, नियमों, संविदात्मक अथवा प्रशासकीय व्यवस्थाओं में प्रावधान किया गया है कि डिफाल्ट कर चुके या दिवालिया हो चुके समाशोधन सदस्य के साथ समंजनकारी लेनदेनों में इस बात की अधिक संभावना है कि समाशोधन सदस्य के डिफाल्ट

करने या दिवालिया होने की स्थिति में उनके लेनदेन अप्रत्यक्ष रूप से क्यूसीसीपी के माध्यम से, अथवा क्यूसीसीपी के द्वारा किये जाते रहें। ऐसी परिस्थितियों में, ग्राहक पोजीशन और क्यूसीसीपी के पास संपार्श्विक को बाजार मूल्य पर अंतरित किया जाएगा, जब तक कि ग्राहक बाजार मूल्य पर पोजीशन को क्लोज आउट करने का अनुरोध नहीं करता है।

जहां ऐसा हो कि ग्राहक हानियों से सुरक्षित नहीं हैं क्योंकि समाशोधन सदस्य और समाशोधन सदस्य का एक अन्य ग्राहक संयुक्त रूप से डिफाल्ट करते हैं अथवा दिवालिया हो जाते हैं, किंतु ऊपर उल्लिखित सभी अन्य शर्तें पूरी होती हैं तथा संबंधित सीसीपी एक क्यूसीसीपी है, तो समाशोधन सदस्य के प्रति ग्राहक के एक्सपोजर पर 4% का जोखिम भार लगाया जाएगा।

जहां ग्राहक बैंक उक्त पैराग्राफों में दी गई अपेक्षाएं पूरी नहीं करता है, बैंक से अपेक्षित होगा कि वह द्विपक्षीय सौदे के रूप में समाशोधन सदस्य के प्रति (संभावित सीवीए जोखिम एक्सपोजर सहित) अपने एक्सपोजर का पूंजीकरण करें।

पोस्ट किए गए संपार्श्विक का ट्रीटमेंट

क) सभी मामलों में, पोस्ट किए गए आस्तियों या संपार्श्विक को, ऐसे संपार्श्विक को पोस्ट करने वाले बैंक के दृष्टिकोण से, इस तथ्य के होते हुए भी कि इस तरह की आस्तियों को संपार्श्विक के रूप में पोस्ट किया गया है वही जोखिम भार मिलना चाहिए जो अन्यथा पूंजी पर्याप्तता ढांचे के अंतर्गत ऐसी परिसंपत्तियों या संपार्श्विक को दिया जाता है। इस प्रकार बैंकिंग बही से पोस्ट किए गए संपार्श्विक को बैंकिंग बही का ट्रीटमेंट प्राप्त होगा और व्यापार बही से पोस्ट किए गए संपार्श्विक को व्यापार बही का ट्रीटमेंट प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त, यह संपार्श्विक बासल नियमों के प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम ढांचे के अधीन होगा, चाहे वह बैंकिंग बही में हो या व्यापार बही में हो। इसमें मानकीकृत पर्यवेक्षी हेयरकट या स्वयं के आंकलन के अंतर्गत हेयरकट के कारण हुई वृद्धि शामिल है। जहां किसी समाशोधन सदस्य या ग्राहक की आस्तियां या संपार्श्विक क्यूसीसीपी अथवा समाशोधन सदस्य के पास पोस्ट किए गए हैं तथा दिवालियापन दूरस्थ शैली में धारित नहीं किए गए हैं, तो ऐसी आस्तियों या संपार्श्विक को पोस्ट करने वाले बैंक को क्रेडिट जोखिम को भी मान्य करना चाहिए। इसका आधार ऐसी आस्तियों अथवा संपार्श्विक को धारण करने वाली संस्था की उधार-पात्रता पर आधारित हानि के जोखिम के प्रति एक्सपोज होने वाली आस्तियां या संपार्श्विक होने चाहिए। जहां ऐसी आस्तियों अथवा संपार्श्विक को धारण करने वाली संस्था क्यूसीसीपी है, तो ट्रेड एक्सपोजर की परिभाषा में शामिल संपार्श्विक पर 2% का जोखिम भार लगाया जाएगा। क्यूसीसीपी का संबंधित जोखिम भार अन्य प्रयोजनों के लिए पोस्ट की गई आस्तियों अथवा संपार्श्विक पर लागू होगा। पोस्ट किए गए संपार्श्विक, जिन्हें दिवालियापन दूरस्थ तरीके से

धारित नहीं किया गया हो, की गणना एसए-सीसीआर का प्रयोग करते हुए एक्सपोजर की गणना करते समय निवल स्वतंत्र संपार्श्विक राशि (एनआईसीए) में की जाए।

ख) समाशोधन सदस्य द्वारा पोस्ट किया गया (नकदी, प्रतिभूतियों, अन्य गिरवी आस्तियों, तथा अतिरिक्त आरंभिक या विचरण मार्जिन, जिसे अति-संपार्श्विकरण भी कहा जाता है, सहित) संपार्श्विक, जो किसी अभिरक्षक² द्वारा धारित हो और क्यूसीसीपी से दिवालियापन दूरस्थ हो, ऐसे दिवालियापन दूरस्थ अभिरक्षक के प्रति प्रतिपक्षकार क्रेडिट जोखिम एक्सपोजर के लिए पूंजी अपेक्षा के अधीन नहीं है।

ग) किसी अभिरक्षक द्वारा धारित तथा ग्राहक द्वारा पोस्ट किया गया संपार्श्विक जो क्यूसीसीपी समाशोधन सदस्य बैंक तथा अन्य ग्राहक बैंकों से दिवालियापन दूरस्थ है, वह प्रतिपक्षकार क्रेडिट जोखिम के लिए पूंजी अपेक्षा के अधीन नहीं है। यदि क्यूसीसीपी पर कोई संपार्श्विक किसी ग्राहक की ओर से धारित है तथा दिवालियापन दूरस्थ आधार पर धारित नहीं है व इस खंड के पैरा 'समाशोधन सदस्यों के प्रति ग्राहक बैंक के एक्सपोजर' (ऊपर उल्लिखित) में स्थापित शर्तें पूरी होती हैं तो संपार्श्विक पर 2% का जोखिम भार लगाया जाएगा। समाशोधन सदस्य और समाशोधन (उपर्युक्त) सदस्य के कोई अन्य ग्राहक संयुक्त रूप से डिफाल्ट करते हैं अथवा संयुक्त रूप से दिवालिया होते हैं, और उस स्थिति में ग्राहक हानियों से सुरक्षित नहीं है, किंतु इस खंड के पैरा 'समाशोधन सदस्यों के प्रति ग्राहक बैंक के एक्सपोजर' में वर्णित अन्य सभी शर्तें पूरी होती हैं तो 4% का जोखिम भार लगाया जाएगा। यदि इन अपेक्षाओं में से कोई भी पूरी नहीं की जाती है तो पोस्ट किए गए संपार्श्विक के लिए पूंजी अपेक्षाएं समाशोधन एक्सपोजर के अधीन शामिल नहीं किए गए सीसीपी के प्रति एक्सपोजर पर लागू होंगी।

(ii) क्यूसीसीपी के प्रति डिफाल्ट फंड एक्सपोजर

जहां कोई डिफाल्ट फंड केवल निपटान जोखिम वाले उत्पादों या कारोबार (जैसे ईक्विटी और बांड) तथा ऐसे उत्पाद या कारोबार जिनसे प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम उत्पन्न होता है अर्थात् ओटीसी डेरिवेटिव, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव या एसएफटी, इन दोनों से मिलकर निर्मित होता है तो उस समस्त डिफाल्ट फंड के अंशदानों पर कारोबारों या उत्पादों की विभिन्न श्रेणियों के बीच विभाजन न कर, नीचे दिए गए फार्मूले तथा पद्धति के अनुसार जोखिम भार लगाया जाएगा। तथापि, जहां

² इस पैराग्राफ में, 'अभिरक्षक' शब्द के अंतर्गत न्यासी, अभिकर्ता, गिरवी रखने वाला, सुरक्षित ऋणदाता या कोई अन्य व्यक्ति जो इस प्रकार संपत्ति धारण करता है जो इस व्यक्ति को ऐसी संपत्ति में कोई लाभप्रद हित नहीं प्रदान करता है तथा जिसके परिणामस्वरूप ऐसी संपत्ति ऐसे व्यक्तियों, ऋणदाताओं द्वारा विधिक रूप से प्रवर्तनीय दावों, या ऐसी संपत्ति का न्यायालय के आदेश से वापस किए जाने संबंधी स्थगन के अधीन न हो जाए यदि ऐसा व्यक्ति दिवालिया हो जाए या अर्थशोधक न रह जाए।

समाशोधन सदस्यों से डिफाल्ट फंड योगदानों को उत्पादों के प्रकार के आधार पर अलग किया जाता है तथा केवल विनिर्दिष्ट उत्पाद प्रकारों के लिए सुलभ रहता है, तो नीचे दिए गए फार्मूले तथा पद्धति के अनुसार निर्धारित उन डिफाल्ट फंड एक्सपोजरों के लिए पूंजी अपेक्षाओं की गणना उस प्रत्येक विनिर्दिष्ट उत्पाद के संबंध में की जानी चाहिए जिससे प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम को बढ़ावा मिलता है। यदि सीसीपी के पूर्व में ही निधीयन किए गए स्वयं के संसाधन विभिन्न उत्पाद प्रकारों के बीच शेयर किये जाते हैं तो सीसीपी को इन निधियों की प्रत्येक गणना को संबंधित उत्पाद विनिर्दिष्ट एक्सपोजर के अनुपात में आबंटित करना होगा।

जब भी किसी बैंक से क्यूसीसीपी में डिफाल्ट फंड योगदानों से उत्पन्न अपने एक्सपोजरों का पूंजीकरण करना अपेक्षित हो, तो समाशोधन सदस्य बैंक परिशिष्ट 2 में दी गई पद्धति का प्रयोग करेंगे। इस पद्धति में क्यूसीसीपी के प्रति डिफाल्ट फंड एक्सपोजर के लिए पूंजी आवश्यकता की गणना सीधे की जाती है। इस प्रकार की गई गणना वाली पूंजी आवश्यकता को 12.5 के फैक्टर से गुणा करके जोखिम भार वाली आस्तियों में परिवर्तित किया जा सकता है।

क्यूसीसीपी के संबंध में अधिकतम सीमा

जहां प्रत्येक क्यूसीसीपी के प्रति बैंक के व्यापार एक्सपोजर एवं डिफॉल्ट फंड एक्सपोजर के कारण क्वालिफाइंग सीसीपी के प्रति एक्सपोजर के लिए बैंक के पूंजी प्रभारों का जोड़ उन्हीं एक्सपोजरों पर लगाए जाने वाले कुल पूंजी प्रभार से अधिक होता है, यदि सीसीपी गैर-क्वालिफाइंग सीसीपी हो, तो बाद वाला कुल पूंजी प्रभार लागू होगा।

5.15.3.10 गैर-क्वालीफाइंग सीसीपी के प्रति एक्सपोजर

बैंकों को अपने गैर-क्वालीफाइंग सीसीपी के प्रति व्यापार जोखिम के लिए मुख्य ढांचे में ऋण जोखिम के लिए प्रतिपक्षकार की श्रेणी के अनुसार मानकीकृत विधि अपनानी होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-क्वालीफाइंग सीसीपी के प्रति उनके डिफाल्ट फंड अंशदानों के लिए 1250% का जोखिम लगाना आवश्यक है। इस पैराग्राफ के उद्देश्य के लिए, यदि सीसीपी को इसकी आवश्यकता हो तो ऐसे बैंकों के डिफाल्ट फंड योगदान में निधिक और गैर-निधिक दोनों अंशदान भुगतान हेतु देय हैं। जहां गैर-निधिक अंशदानों (अर्थात् असीमित बाध्यकारी प्रतिबद्धता) के लिए देयता हो वहां रिजर्व बैंक अपने पिलर 2 मूल्यांकनों में उस गैर-निधिक प्रतिबद्धताओं की राशि की समीक्षा करेगा, जिस पर 1250% का जोखिम भार लागू होना चाहिए।

क्लोज-आउट नेटिंग सेट्स में निवल प्रतिस्थापन लागत को शामिल करने के लिए अपेक्षाएं

क. रिपो-स्टाइल लेनदेनों के लिए

यदि करार डिफाल्ट की घटना घटित होने पर प्रत्येक संबंधित अधिकार क्षेत्र में विधिक रूप से प्रवर्तनीय हैं भले ही प्रतिपक्षकार दिवालिया हो या शोधक्षम हो तो रिपो-स्टाइल लेनदेनों को कवर करने वाले द्विपक्षीय नेटिंग समझौतों के प्रभावों को प्रतिपक्षकार-दर-प्रतिपक्षकार आधार पर शामिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, नेटिंग करारों के लिए

- (क) डिफाल्ट न करने वाले पक्ष को डिफाल्ट के घटित होने पर, प्रतिपक्षकार के दिवालियेपन या शोध अक्षमता की स्थिति सहित, करार के अंतर्गत सभी लेनदेनों को समयबद्ध तरीके से समाप्त कर देने तथा बंद करने (क्लोज आउट) के अधिकार का प्रावधान करना आवश्यक है;
- (ख) उन लेनदेनों पर लाभों तथा हानियों की नेटिंग करने का प्रावधान करना आवश्यक है जो इसके अंतर्गत समाप्त तथा बंद कर दिए गए हों (किसी संपार्श्विक के मूल्य सहित) ताकि एक पार्टी द्वारा दूसरे पार्टी के प्रति कोई बकाया न रह जाए;
- (ग) डिफाल्ट घटित होने पर संपार्श्विक के तुरंत परिसमापन एवं प्रतितुलन की अनुमति देना आवश्यक है; तथा
- (घ) ऊपर (क) से (ग) में अपेक्षित प्रावधानों से उत्पन्न अधिकारों समेत, डिफाल्ट की स्थिति में प्रत्येक संबंधित न्याय क्षेत्र में विधिक रूप से प्रवर्तनीय होना चाहिए, चाहे प्रतिपक्षकार शोध क्षम या दिवालिया हो अथवा न हो।

ख. डेरिवेटिव लेनदेनों के लिए

बैंक उस नवीयन के अधीन इन दिशानिर्देशों के उद्देश्य से लेनदेनों की नेटिंग (अर्थात् नेटिंग सेट के आरसी घटक का निर्धारण करते समय) कर सकते हैं जिसके अंतर्गत किसी बैंक और उसके प्रतिपक्षकार के बीच किसी दिए हुए मूल्य तिथि में किसी दी हुई मुद्रा की सुपुर्दगी करने का दायित्व उसी मुद्रा के लिए अन्य सभी दायित्वों के साथ स्वतः सम्मिलित हो जाता है, जिसमें पूर्व के सकल दायित्वों का स्थान विधिक रूप से एकल राशि ले लेती है। नवीयन के अन्य स्वरूपों सहित पूर्व वाक्य में कवर नहीं किए गए किसी द्विपक्षीय नेटिंग के विधिक रूप से वैध स्वरूप के अंतर्गत लेनदेनों को भी बैंक निवल कर सकते हैं। ऐसे प्रत्येक मामले में जहां नेटिंग का प्रयोग किया जाता है, बैंक को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका:

- (i) प्रतिपक्षकार के साथ वह नेटिंग संविदा या अन्य करार जो एकल विधिक दायित्व उत्पन्न करने वाला है तथा जिसमें सभी शामिल लेनदेन आ जाते हैं ताकि यदि कोई प्रतिपक्षकार

निम्नलिखित में से किसी एक कारण से कार्य-निष्पादन में असमर्थ रहता है तो बैंक के पास शामिल किए गए अलग-अलग लेनदेनों के बाजार दर आधारित धनात्मक एवं ऋणात्मक मूल्यों के निवल योग को या तो प्राप्त करने का दावा रहे या भुगतान करने का दायित्व रहे; चूक (डिफाल्ट), दिवालियापन, परिसमापन या समान परिस्थितियां; (नेटिंग संविदा में ऐसा कोई खंड नहीं होना चाहिए जिसमें, किसी प्रतिपक्षकार द्वारा चूक (डिफाल्ट) की स्थिति में, किसी चूक न करने वाले प्रतिपक्ष को चूककर्ता पक्ष की संपदा को केवल सीमित भुगतान करने या बिलकुल ही भुगतान न करने की अनुमति दी गई हो, भले ही चूककर्ता पक्ष निवल उधारदाता हो।)

(ii) लिखित तथा तर्कयुक्त विधिक राय जो, विधिक चुनौती मिलने की स्थिति में, संबंधित अदालतें तथा प्रशासकीय प्राधिकारी बैंक के एक्सपोजर को ऐसी निवल राशि को जिसके अंतर्गत पाएंगे:

- जिन क्षेत्राधिकार में प्रतिपक्षकार को शामिल किया गया है उसके कानून और, यदि किसी प्रतिपक्षकार की विदेशी शाखा शामिल हो, तो उस क्षेत्राधिकार का कानून भी जिसके अंतर्गत शाखा स्थित है;
- अलग-अलग लेनदेनों को नियंत्रित करने वाला कानून; और
- नेटिंग को पूरा करने के लिए आवश्यक किसी संविदा या करार को नियंत्रित करने वाला कानून।

[यदि भारतीय रिज़र्व बैंक संबंधित कानूनों के अधीन प्रवर्तनीयता से संतुष्ट नहीं है, तो एक्सपोजर राशि की गणना करते समय नेटिंग का लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता।]

(iii) यह सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियायें स्थापित करना कि नेटिंग व्यवस्थाओं की विधिक विशिष्टताएं संबंधित कानून में संभावी परिवर्तनों के आलोक में समीक्षाधीन रखी जाती हैं।

नेटिंग सेट किसी एकल प्रतिपक्षकार के साथ बहुत सारा लेन-देन है, जो विधिक रूप से प्रवर्तनीय द्विपक्षीय नेटिंग व्यवस्था के अधीन है और जिसके लिए नेटिंग उक्त अपेक्षाओं के प्रावधानों के अंतर्गत विनियामक पूंजी प्रयोजनों के लिए मान्य है। उक्त अपेक्षाओं को लाभप्रद (ऑन-गोइंग) आधार पर पूरा किया जाना है।

क्यूसीसीपी के प्रति डिफाल्ट फंड एक्सपोजर के लिए पूंजी प्रभार की गणना

समाशोधन सदस्य बैंक ऐसे जोखिम संवेदी फार्मूले के अनुसार निर्धारित अपने डिफाल्ट फंड योगदानों के लिए जोखिम भार लगाएंगे जिनमें निम्न पर विचार किया गया हो (i) किसी क्वालिफाइंग सीसीपी के वित्तीय स्रोतों का आकार और गुणवत्ता, (ii) ऐसे सीसीपी के प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम एक्सपोजर, और (iii) किसी एक या एक से अधिक समाशोधन सदस्यों द्वारा चूक की दशा में सीसीपी के हानि सहनीय प्रवाह के माध्यम से ऐसे वित्तीय संसाधनों का प्रयोग। अपने डिफाल्ट फंड योगदान के लिए समाशोधन सदस्य बैंक के जोखिम संवेदी पूंजी आवश्यकता की गणना नीचे दिए गए फार्मूले तथा पद्धति का प्रयोग करते हुए की जाए। यह गणना इस खंड के संबंधित प्रावधानों का अनुकरण करते हुए क्यूसीसीपी द्वारा की जाएगी, और गणना की सटीकता और समग्रता की समीक्षा कम-से-कम तिमाही आधार पर संबंधित सीसीपी के पर्यवेक्षक द्वारा की जाएगी। इस खंड के अनुरूप अपेक्षित गणना नहीं करने पर और सीसीपी के पर्यवेक्षक द्वारा इसकी समीक्षा नहीं करने पर सीसीपी को गैर-क्यूसीसीपी बना दिया जाएगा।

गणना के चरण निम्नानुसार होंगे :

प्रथमतः, इसके सभी समाशोधन सदस्यों और उनके ग्राहकों को इसके प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम एक्सपोजर को देय सीसीपी की कल्पित पूंजी आवश्यकता की गणना करना। Kccp सीसीपी के लिए एक कल्पित पूंजी आवश्यकता है, जिसकी गणना समाशोधन सदस्य के डिफाल्ट फंड योगदान की पूंजी आवश्यकता को निर्धारित करने के एकमात्र प्रयोजन से सतत आधार पर की जाती है; यह किसी सीसीपी के लिए वास्तविक पूंजी आवश्यकता नहीं है जिसका निर्धारण किसी सीसीपी और उसके पर्यवेक्षक द्वारा किया जा सकता है। Kccp की गणना निम्नलिखित फार्मूले के प्रयोग से की जाती है :

$$Kccp = \sum_{CMI} EAD_i * RW * 8\%$$

जहां

RW 20% का जोखिम भार है। यह जोखिम भार बढ़ाया जा सकता है यदि भारतीय रिज़र्व बैंक ऐसा करना आवश्यक समझे।

EAD_i समाशोधन सदस्य (सीएम) 'i' के प्रति सीसीपी की एक्सपोजर राशि है, जिसमें सीएम के स्वयं के लेनदेन और सीएम द्वारा गारंटीकृत ग्राहक लेनदेन, दोनों, शामिल हैं तथा इन लेनदेनों पर सीसीपी द्वारा धारित संपार्श्विक (सीएम के पूर्व-निधिकृत डिफाल्ट फंड अंशदान सहित) के सभी मूल्यों, जो विनियामक

रिपोर्टिंग तारीख के अंत में उस दिन विनिमय किए गए अंतिम मार्जिन कॉल से पहले के मार्जिन कॉल से संबंधित है।

योग सभी समाशोधन सदस्य खातों का समग्र है।

जहां समाशोधन सदस्य ग्राहक समाशोधन सेवाएं प्रदान करते हैं, और ग्राहक लेनदेन तथा संपार्श्विक को समाशोधन सदस्य के स्वामित्व व्यवसाय से अलग (वैयक्तिक या व्यापक) उप-खाते में रखे जाएं, ऐसे प्रत्येक ग्राहक उप-खाता राशि की अलग से प्रविष्टि की जाए, अर्थात् तब उक्त फार्मूले में जो सदस्य ईएडी है वह ग्राहक उप-खाता ईएडी और किसी घरेलू उप-खाता ईएडी का योग होगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि केसीसीपी की गणना में समाशोधन सदस्य के मालिकाना गतिविधि के प्रति सीसीपी के एक्सपोजर के समंजन (ऑफ-सेट) के लिए ग्राहक संपार्श्विक का उपयोग नहीं किया जा सकता। यदि इनमें से किसी उप-खाते में डेरिवेटिव और एसएफटी दोनों हो, तो उस उप-खाते का ईएडी डेरिवेटिव ईएडी और एसएफटी ईएडी का योग होगा।

यदि उक्त संपार्श्विक को एसएफटी और डेरिवेटिव दोनों के किसी खाते के प्रति रखा गया हो तो सदस्य अथवा ग्राहक द्वारा प्रदत्त पूर्व-निधिकृत आरंभिक मार्जिन को संबंधित उत्पाद विशेष एक्सपोजर के अनुपात में एसएफटी और डेरिवेटिव एक्सपोजर आवंटित किए जाए, जिसकी गणना एसएफटी और अन्य लेनदेनों पर लागू संबंधित प्रावधानों के अनुसार की गई हो।

यदि सदस्य के डिफाल्ट फंड योगदान (DFi) को ग्राहक और घरेलू उप-खाते के संबंध में विभाजित नहीं किया जाता है तो उन्हें समाशोधन सदस्य के खाते द्वारा अथवा के लिए पोस्ट किए गए कुल आरंभिक मार्जिन के संबंध में उक्त उप-खाते के आरंभिक मार्जिन के संबंधित अंश के अनुसार प्रति उप-खाते के हिसाब से आवंटित किया जाना चाहिए।

डेरिवेटिव के लिए, ईएडीआई (EAD_i) की गणना एसए-सीसीआर का प्रयोग करते हुए समाशोधन सदस्य के प्रति सीसीपी के द्विपक्षीय व्यापार एक्सपोजर के अनुसार की जाती है। डेरिवेटिव लेनदेन के संबंध में समाशोधन सदस्यों के प्रति सीसीपी के संभावित भावी एक्सपोजर की गणना करने के लिए 10 दिनों की जोखिम मार्जिन अवधि का प्रयोग किया जाए। सीसीपी द्वारा धारित सभी संपार्श्विक, जिनके प्रति उस सदस्य या ग्राहक की चूक की स्थिति में सीसीपी को सदस्य के डिफाल्ट फंड योगदान (DFi) सहित, विधिक दावा प्राप्त होता है, जिसका प्रयोग उक्त सदस्य अथवा ग्राहक के प्रति सीसीपी के एक्सपोजर के समंजन (ऑफ-सेट) के लिए किया जाता है, के लिए समग्र पीएफई की गणना हेतु एसए-सीसीआर के अधीन गुणक की गणना के लिए प्रावधानों के अनुरूप पीएफई गुणक में शामिल किया जाए।

एसएफटी के लिए, ईएडी मैक्स (EBRM_i – IM_i – DFi; 0) के बराबर है, जहां

–EBRM_i का अर्थ जोखिम कम करने से पहले समाशोधन सदस्य 'i' के प्रति एक्सपोजर मूल्य से है; जहां, इस गणना के प्रयोजन से, विनिमय किए गए विचरण मार्जिन (उस दिन के अंतिम मार्जिन कॉल पर कॉल की गई मार्जिन से पहले) लेनदेन के बाजार आधारित मूल्य में प्रविष्ट होता है;

-IMi समाशोधन सदस्य द्वारा सीसीपी के पास पोस्ट किया गया आरंभिक मार्जिन संपार्श्विक है;

-DFi समाशोधन सदस्य द्वारा पूर्व-निधिकृत डिफाल्ट फंड योगदान है जिसे सीसीपी हानि को कम करने के लिए ऐसे सदस्य के आरंभिक मार्जिन के साथ-साथ अथवा तुरंत बाद ऐसे समाशोधन सदस्य के डिफाल्ट होने पर लागू किया जाएगा।

एसएफटी के लिए लागू कोई भी हेयरकट इस मास्टर परिपत्र के ऋण जोखिम कम करने संबंधी खंड के अंतर्गत निर्धारित मानक पर्यवेक्षी हेयरकट होना चाहिए।

जहां तक इस प्रथम चरण में गणना का संबंध है:

विनियमित समाशोधन सदस्यों पर लागू नेटिंग सेट वही होंगे जो कि इस खंड के क्यूसीसीपी के प्रति समाशोधन सदस्य के एक्सपोजर पर उक्त पैरा में संदर्भित हैं। अन्य सभी समाशोधन सदस्यों के लिए आवश्यक है कि वे प्रत्येक समाशोधन सदस्य की अधिसूचना पर आधारित सीसीपी द्वारा बनाए गए नियमों नेटिंग नियमों का पालन करें।

द्वितीय, निम्नलिखित फार्मूले का प्रयोग करते हुए प्रत्येक समाशोधन सदस्य के लिए पूंजी अपेक्षा की गणना करना :

$$K_{CM_i} = \max \left(K_{CCP} * \left(\frac{DF_i^{pref}}{DF_{CCP} + DF_{CM}^{pref}} \right); 8\% * 2\% * DF_i^{pref} \right)$$

जहां

K_{CM_i} — सदस्य i के डिफाल्ट फंड योगदान पर पूंजी आवश्यकता है;

DF_{CM}^{pref} — समाशोधन सदस्यों का कुल पूर्व-निधिकृत डिफाल्ट फंड योगदान;

DF_{CCP} — सीसीपी के पूर्व-निधिकृत स्वयं के स्रोत (उदा. अंशदायी पूंजी, प्रतिधारित आय, इत्यादि) जिन्हें डिफाल्ट वाटरफाल में अंशदान किया गया, जहां ये पूर्व-निधिकृत सदस्य योगदान में कनिष्ठ, या समान हैं; और

DF_i^{pref} — समाशोधन सदस्य i द्वारा प्रदत्त पूर्ववित्तप्राप्त डिफाल्ट फंड योगदान।

इस विधि में 2% के डिफाल्ट फंड एक्सपोजर जोखिम भार पर आधार सीमा तय होती है।

क्यूसीसीपी K_{CCP} , DF_{CCP} और DF_{CM}^{pref} की गणना इस प्रकार से करें कि सीसीपी के पर्यवेक्षक को उक्त गणना की निगरानी करने की अनुमति हो, और वे गणना परिणामों की पर्याप्त सूचना साझा करें, ताकि प्रत्येक समाशोधन सदस्य बैंक डिफाल्ट फंड के लिए अपनी पूंजी आवश्यकता की गणना कर सके। बैंक

यह सुनिश्चित करें कि क्यूसीसीपी के संबंधित पर्यवेक्षक/नियामक ने संबंधित क्यूसीसीपी द्वारा निष्पादित गणना की सटीकता की पुष्टि की है।

Kccp की गणना कम-से-कम तिमाही आधार पर अवश्य की जाए। तथापि, ऐसे मामलों में जहां सीसीपी द्वारा नए उत्पादों, इत्यादि का समाशोधन कार्य शुरू करने जैसे महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं, गणना अधिक बार की जाएगी।

सीसीपी समाशोधन सदस्यों के प्रति सीसीपी के एक्सपोजर के संयोजन के बारे में किसी बैंक समाशोधन सदस्य के पर्यवेक्षक को पर्याप्त समग्र सूचना उपलब्ध कराएगा और साथ ही, गणना के प्रयोजनों से समाशोधन सदस्य को उपलब्ध कराई गई सूचना उपलब्ध कराए।

ऐसी सूचना बैंक पर्यवेक्षक द्वारा पर्यवेक्षित समाशोधन सदस्य के जोखिम की निगरानी के लिए जितनी बार अपेक्षित होगी उतनी बार उपलब्ध करायी जाएगी। Kccp और KCMi की कम-से-कम तिमाही में फिर से गणना की जाए, और जब भी समाशोधित लेनदेनों की संख्या अथवा एक्सपोजर में महत्वपूर्ण परिवर्तन हों, अथवा सीसीपी के वित्तीय संसाधनों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हों, तब उक्त की भी फिर से गणना की जाए।
